न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः–158 / 2018
निर्णय दिनांकः–28.10.2024
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. गोपी पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र बिरधा
2. श्रणगारी देवी धर्मपत्नि बिरधा (नाम हजफ)
3. कालू पुत्र मूलचन्द
4. श्योजी पुत्र मूलचन्द
5. श्रवण पुत्र मूलचन्द
6. काना पुत्र मूलचन्द
7. गणेशं पुत्र रामचन्द्र
8. लाल पुत्र छोटू
9. रतन पुत्र छोटू

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर

10. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
11. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री विनोद कुमार जैन अधिवक्ता वादी
श्री सुनिल कुमार जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1
श्री कन्हैयालाल गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 लगा0 9

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाझा

निर्णय दिनांकः–28.10.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 487 के खसरा नम्बर यह कि आराजी खतौनी संख्या 487 के ख0न0 5990 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, खाता संख्या 488 के ख0न0 5999 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, ख०न० 6395 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 6396 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 6407 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 6408 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीधा 07 बिस्वा, खाता संख्या 489 के ख0न0 5998 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा, खाता संख्या 490 के ख0न0 5994 / 1 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा, ख0न0 5994 / 3 रकबा 16 बिस्वां कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खाता संख्या 334 के ख0न0 6336 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा, खाता संख्या 611 के ख0न0 6397 रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा, खाता संख्या 612 के ख0न0 5995 रकबा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम पटवार हल्का फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है

लगातार...............2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

उक्त भूमि में प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम दर्ज खातेदारी खाता संख्या 487 में 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 488 में सम्पूर्ण, खाता संख्या 489 में 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 490 में सम्पूर्ण, खाता संख्या 611 में 1/3 हिस्सा, खाता संख्या 334 में 1/2 हिस्सा. खाता संख्या 612 में 1/12 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रतिवादी सं01 व 2 के दर्ज उक्त हिस्से में वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 ल० 7 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 8 ल० 9 का 1/6 हिस्सा है इसी हिस्सेनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर अपने बुजुर्ग के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण उक्त हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है व सरकारी लगान जमा कराते चले आ रहे है। उक्त भूमि को आगे के पैराज में विवादग्रस्त भूमि से सम्बोन्धित किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा आराजी भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है वादी एवं प्रतिवादीगण का सिर्जरा खानदान निम्न प्रकार हैः–उपरोक्त सिजरा खानदान के अनुसार गोरधन की तीन लडके गंगल्या उर्फ गंगाराम, धोकल्या, कल्याण हुये, जिनमें से धोकल्या व कल्याण पर्चा सेटलमेन्ट के पूर्व फौत हो गये तथा गंगल्या बाद में गंगल्या के बिरदा, व बिरदा के प्रतिवादी सं01 व 2 एवं धोकल्या के दो लडके मूलचन्द व रामचन्द्र हुये जो फौत हो गये जिसके वारिसान प्रतिवादी सं03 ल० 7 है एवं कल्याण के नारायण व छोटू हुये जो फौत हो गये जिनके वादी प्रतिवादी सं० 8 ल० 9 वारिसान है, इस प्रकार गंगल्या वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट जीवित था, तथा दो अन्य भाई धोकल्या व कल्याण फौत होगये थे. जिसस्ले सम्पूर्ण भूमि का पर्चा अकेले गंगल्या के नाम जारी हो गया जबकि कब्जा काश्त धोकल्या व कल्याण के फौत होने पर उसके लडके मूलचन्द, रामचन्द्र व नारायण, छोटू का हिस्सा बराबर बराबर 1/3 हिस्सेनुसार रहा तथा उनकी मृत्यु उपरान्त विवादग्रस्त भूमि पर वादी व 'प्रतिवादी सं० ल० 9 का 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। 3. यह कि पक्षकारान के पूर्वज गोरधन था, एवं गोरधन के तीन लडके गंगल्या, धोकल्या, कल्याण थे विवादग्रस्त भूमि पर पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व गोरधन काबिज काश्त था, पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व ही गोरधन व उनके लडके धोकल्या, कल्याण फौत हो गये थे, पर्चा सेटलमेन्ट के समय गंगल्या मौजूद था व धोकल्या व कल्याण के लडके मूलचन्द, रामचन्द्र, नारायण व छोटू थे जिन ,के नाम बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सेनुसार विवादग्रस्त भूमि का पर्चा जारी होना चाहिये लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का पर्चा अकेले गंगल्या पुत्र गोरधन के नाम से सम्बत 2011 ल० 2033 में पर्चा सं0 444, 378/1, 418/1, 418/2 जारी कर दिया गया था जबकि उपरोक्त भूमि पर गंगल्या व घोकल्या कल्याण के लडके का बहिस्सा बराबर बराबर कब्जा काश्त रहा है इसी

लगातार.................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

अनुसार आज तक लगातार मौके पर बराबर बराबर सयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। खाता संख्या 611 की भूमि पर अन्य सहखातेदारों के साथ गंगल्या 'व उनके दोनों भाईयों के लडके मूलचन्द, रामचन्द्र, व नारायण, छोटू का मौके पर बराबर बराबर हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा था उसी अनुसार उक्त भूमि के खातेदारी दर्ज होनी चाहिये लेकिन गंगल्या बड़ा व कर्ताखानदान होने से उक्त भूमि की खातेदारी अकेले गंगल्या के नाम 1/3 हिस्से की जारी कर दी गयी जबकि उक्त 1/3 हिस्से में घोकल्या, व कल्याण के लडकों के नाम बहिस्सा बराबर बराबर खातेदारी दर्ज करनी चाहिये हालकि कब्जा काश्त बदस्तूर उक्त हिस्सेनुसार आज दिन तक चला आ रहा है। उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का गलती में गंगल्या अकेले के नाम पर्चा खातेदारी जारी होनें के पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी अकेले गंगल्या के नाम दर्ज हो गयी तथा उसकी फौती पर उसके लडके बिरदा के नाम खातेदारी दर्ज हुयी। उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी अकेले गंगल्या व उसके पश्चात बिरदा के नाम दर्ज होने पर वादी व प्रतिवादी सं०3 ल० 9 के पिता ने उक्त भूमि उनके हिस्से अनुसार उनके नाम लगाने हेतु कहां तो बिरधा ने वादी व प्रतिवादी सं०3 ल० 9 के पिता से कहां कि उनके पिता के समय से तीनों भाईयों का प्रत्येक का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुसार उनकी खातेदारी अकेले उसके नाम दर्ज चली आ रही है जिसको वह कभी भी चलकर उनके नाम उनके हिस्से अनुसार करा देगा इसमें किसी प्रकार का आना कानी नही करेगा ऐसा देखा विश्वास देते देते बिरधा फौत हो गया व उसके पश्चात वादी व प्रतिवादी सं० 3 य 9 के पिता मूलचन्द, रामचन्द्र व नारायण, छोटू भी फौत हो गये जिनके वादी व प्रतिवादी स० 3 ल० 9 वारिसान है। प्रतिवादी सं01 व 2 पिता/पति बिरधा के फौत होने पर उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं01 ल० 2 के नाम दर्ज हुयी जो आज तक दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं०1 व 2 के नाम दर्ज होने पर वादी उनका हिस्सा उनके नाम लगाने हेतु प्रतिवादी सं01 व 2 को कहा तो प्रतिवादी सं01 व 2 ने वादी से कहा कि विवादग्रस्त भूमि पर कल्याण उनके पिता/बुजुर्गो के समय से मौके पर बहिस्सा बराबर बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है। और लगान सरकारी जमा करते चले आ रहे है। उन्हे किस बात का डर है ये वादी 'का व अन्य हिस्सेदार का हिस्सा उनके नाम लगा देगें प्रतिवादी सं01 व 2 के उक्त कथन पर वादी के द्वारा विश्वास कर कोई कार्यवाही नहीं की, आगे कि प्रतिवादी सं01 व 2 के द्वारा इसीनुसार आश्वस्त कर दिया जाता रहा जिस पर भी वादी ने विश्वास कर लिया, इसी दौरान प्रतिवादी सं० 1 व 2 के द्वारा ख0न0 5994 में से 4 बीघा 12 बिस्वा अन्य खसरा नम्बर में से 2 बीघा भूमि विक्रय कर दी। प्रतिवादी सं01

लगातार...............4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

व 2 के द्वारा भूमि विक्रय करने पर वादी व अन्य खातोदारों के द्वारा प्रतिवादी सं01 व 2 कों कहा कि उनके द्वारा उनके भूमि नाम नही लगवाकर भूमि विकय की जा रही है जिस पर प्रतिवादी सं01 व 2 ने कहां कि जो भूमि उनके द्वारा विक्रय की गयी है वह उनके हिस्से में से कम करते हुये उनके नाम करा देगें जिस पर भी वादी ने विश्वास कर लिया। प्रतिवादी सं01 ल 2 के द्वारा वादी व अन्य हिस्सेदारान को उनके हिस्से अनुसार भूमि उनके नाम लगाने हेतु लगातार आश्वासन देने तथा प्रतिवादी सं01 व 2 द्वारा भूमि विकय किये जाने पर वादी के द्वारा अभी दिनांक 20.10.2018 को प्रतिवादी सं०1 ल० 2 को जोर देकर कहा कि भूमि उसके हिस्से अनुसार उसके नाम नही होने से वह सरकारी सुविधाओं, लोन, सब्सिडी व सरकारी योजनाओं से लगातार वचिंत चला आ रहा है उसके हिस्से की भूमि उसके नाम लगावे, वादी के उक्त कथन पर प्रतिवादी सं0 1 व 02 काफी आग बबूला हो गये एवं उनके द्वारा वादी से कहा कि उसका विवादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा हक नहीं है भूमि में वादी के हिस्से से स्पष्ट इंकार कर दिया एवं ऐलानिया धमकी दे रहा कि विवादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण कि खातेदारी उनके नाम है यदि वादी के द्वारा उसमे जोर जबरदस्ती की एवं भूमि में काश्त करने की कोशिश की तो वह वादी के हिस्से को दीगर व्यक्तियो को विकय कर वादी को उसके हिस्से से बेदखल कर देगें। प्रतिवादी सं01 व 2 के उक्त कथन पर वादी को बडा आश्र्चर्य हुआ इसलिये आवश्यक हुआ कि विवादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा कराये जाने बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करें। प्रतिवादी सं01 व 2 अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो गये तो वादी अपनी एक मात्र आराजी भूमि से वचिंत हो जावेगा जिससे बादी का असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकेगी ऐसी स्थिति में वादी के लिये आवश्यक हुआ कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञ से पाबन्द करावें। विवादग्रस्त भूमि पक्षकारान के उक्त कब्जे काश्त की भूमि है जो पक्षकारान के पूर्वज गोरधन के कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिससे गोरधन के तीनों लडके गंगल्या, धोकल्या, कल्याण का बराबार बराबर सयुक्त हिस्सा है तथा उनके फौत होने पर उनके वारिसान/पक्षकारान का समान हिस्सा है तथा उसी हिस्सेनुसार पक्षकारान अपने बुजुर्गों के समय से मौके पर आज तक निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का पर्चा खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं० 3 ल० 9 के पूर्वज धोकल्या व कल्याण का पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व देहान्त होने के कारण व अकेला गंगल्या मौजूद होने से पर्चा खातेदारी अकेले गंगल्या के नाम गलत रूप से जारी हो गया। जबकि गंगल्या के जारी पर्चा खातेदारी में तथा उसके पश्चात वर्तमान में दर्ज खातेदारी प्रतिवादी सं01 व 2 ने वादी प्रतिवादीगण का मद सं01 के अनुसार हिस्सा है तथा उसी हिस्सेनुसार लगातार मौके पर कब्जा काश्त होने से वादी अपने

लगातार................5

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाये जाने का अधिकारी है। वाद कारण को प्रतिवादी सं01 व 2 उनके नाम गलत रूप से खातेदारी दर्ज होने तथा उसके पश्चात विवादग्रस्त भूमि मे वादी को उनके हिस्से से साफ इंकार करने तथा दिनांक 20.10.2018 को वादी के द्वारा खातेदारी नाम लगाने पर स्पष्ट इंकार करने तथा दीगर व्यक्तियों को विकय कर वादी को उनके हिस्से से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने पर मान्य न्यायालय के समक्ष उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। जो वाद वादी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। श्रीमान न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई करने एवं निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जोशी ने वकालतनामा व जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे वाद पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथंन मे बताया की विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के दादा/ससुर काबिज काश्त होने से पर्चा सम्वत 2011 में गंगल्या पुत्र गोरधन के नाम से जारी किया जो सही है तथा उनकी मृत्युपरान्त प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता/पति को विरासत फौती नामान्तकरण से आराजी प्राप्त हुई एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता/पति की मृत्युपरान्त प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जरिये फौती नामान्तकरण आराजी प्राप्त हुई जिस पर सम्वत 2011 से काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है जिससे वादी व शेष प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वादी व प्रतिवादीगण गोरधन के जीवन काल में ही अलग — अलग रह रहे है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के दादा/ससुर अलग रहते हुये आराजी सम्वत् 2011 में काश्त करते थे जिससे पर्चा प्रतिवादी सं0 1 व 2 को दादा/ससुर के नाम से जारी किया गया। वादी व प्रतिवादी कभी जीवन में सामलाती रूप से नही रहे न ही इन्होने आराजी काश्त की है। वादी व प्रतिवादी सं0 3 लगायत 7 प्रतिवादी सं0 1 व 2 की आराजी को हडपने की नियत से आराजी पैतृक बताते हुये उक्त वाद पेश किया है जो प्रथम दृष्ट्या की खारिज किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के दादा/ससुर के नाम गंगाराम खातेदारी रही है। जिससे पर्चा सम्वत 2011 में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के दादा/ससुर के नाम दर्ज रहा है विवादित आराजी पर कभी वादी व शेष प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नही रहा है। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 व 2 की पैतृक मुस्तका आराजी भूमि है जिस पर सम्वत 2011 से अब तक काबिज होकर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता/पति व दादा/ससुर काबिज काश्त करते चले आ रहे है वादी व अन्य

लगातार................6

फागी, जिला—दूदू

प्रतिवादीगण, प्रतिवादी सं0 1 व 2 को नाजायज परेशान करने की नियत से उक्त वाद करीब 63 वर्ष पश्चात झूठा वाक्या गढकर अवधि बाहर पेश किया है जो कारण व अवधि बाहर होने से चलने योग्य नही है।

प्रतिवादी सं0 3 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल गुर्जर ने वकालतनामा व इकबालिया जबाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुये बताया की प्रतिवादी सं0 3 लगायत 9 का विवादित भूमि मे प्रतिवादी सं0 1 के दर्ज हिस्से मे प्रतिवादी सं0 3 लगायत 6 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 7 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 8 व 9 का 1/6 हिस्सा है तथा इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

दोराने वाद प्रतिवादी सं0 2 फौत होने पर प्रतिवादी सं0 2 का नाम हजफ प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी सं0 2 का नाम हजफ किया गया।

साक्ष्य हेतु वादी ने स्वंय का व रहीम खां पुत्र भूरे खां जाति मुसलमान निवासी फागी व जवाहर पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी फागी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जो शमिल मिसल किये गये।

वादी व प्रतिवादी सं0 1, 3 लगायत 9 स्वंय हाजिर अदालत आये तथा राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया तथा अपने राजीनामा मे धोकल्या, कल्याण व गंगल्या तीनों के वारिसान ने राजीनामा बराबर – बराबर 1/3 – 1/3 – 1/3 हिस्से का कर लिया है। जिसमे हम वादी व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है तथा मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी पश्चिम मे स्थित उक्त विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1 की माता श्रणगारी देवी के नाम हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2064 – 2067 के अनुसार उक्त विवादग्रस्त बिरधा पुत्र गंगल्या के नाम दर्ज रिकार्ड

लगातार................7

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

रही है। दौराने वाद प्रतिवादी सं0 2 फौत हो चूकी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे खातेदार है जिसका एक मात्र प्रतिवादी सं0 1 वारिस है। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चूका है तथा अपने राजीनामा मे धोकल्या, कल्याण व गंगल्या तीनों के वारिसान के नाम बराबर – बराबर 1/3 – 1/3 – 1/3 हिस्सेनुसार डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 487 के खसरा नम्बर यह कि आराजी खतौनी संख्या 487 के ख0न0 5990 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, खाता संख्या 488 के ख0न0 5999 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, ख०न० 6395 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 6396 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 6407 रकबा । बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 6408 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा, खाता संख्या 489 के ख0न0 5998 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा, खाता संख्या 490 के ख0न0 5994/1 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा, ख0न0 5994/3 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खाता संख्या 334 के ख0न0 6336 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा, खाता संख्या 611 के ख0न0 6397 रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा, खाता संख्या 612 के ख0न0 5995 रकबा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम पटवार हल्का फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजीयात मे प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्से की आराजी मे से वादी व प्रतिवादी सं0 8 व 9 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 1 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 3 लगायत 7 को 1/3 हिस्से काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/X/24

(राकेश कुमार ।।)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

गोपी बनाम रामजीलाल वगै0
मु0न0:– 158/2018
निर्णय दिनांकः– 28.10.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

गोपी पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र बिरधा
2. श्रणगारी देवी धर्मपत्नि बिरधा (नाम हजफ)
3. कालू पुत्र मूलचन्द
4. श्योजी पुत्र मूलचन्द
5. श्रवण पुत्र मूलचन्द
6. काना पुत्र मूलचन्द
7. गणेश पुत्र रामचन्द्र
8. लाल पुत्र छोटू
9. रतन पुत्र छोटू
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर
10. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
11. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेघाज्ञा ::–

मु0न0:– 158/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री विनोद कुमार जैन हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री सुनील कुमार जोशी व श्री कन्हैयालाल गुर्जर मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 487 के खसरा नम्बर यह कि आराजी खतौनी संख्या 487 के ख0न0 5990 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, खाता संख्या 488 के ख0न0 5999 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, ख०न० 6395 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 6396 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 6407 रकबा । बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 6408 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा, खाता संख्या 489 के ख0न0 5998 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा, खाता संख्या 490 के ख0न0 5994/1 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा, ख0न0 5994/3 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खाता संख्या 334 के ख0न0 6336 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा, खाता संख्या 611 के ख0न0 6397 रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा, खाता संख्या 612 के ख0न0 5995 रकबा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम पटवार हल्का फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजीयात मे प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्से की आराजी मे से वादी व प्रतिवादी सं0 8 व 9 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 1 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 3 लगायत 7 को 1/3 हिस्से काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।**

निज..............X..............मुबलिग..........X..........................बाबत...................X............................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....X...........................फीसदी.........X..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/10/2024 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
दस्तखत..........................
फागी,जिला–दूदू
ओहदा.....................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह् सबुत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

28/X/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू